रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 565] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17, 1983/अग्रहायण 26, 1905
No. 565] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 17, 1983/AGRAHAYANA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1983

का. आ. 915(अ) :—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 806/21/83-एफ (सी), दिनांक 17-6-83 (17-6-83 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-2, खण्ड-3 के उप-खण्ड (2) में प्रकाशित) के क्रम में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों के संबंध में फिल्म की एक प्रिंट/वीडियो प्रति को जमा करने से संबंधित चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 28 के उप-नियम (1) के उपबन्धों से छूट की अवधि को 17-12-83 से 3 महीने की अवधि के लिए इस शर्त पर बढ़ाती है कि

आवेदक फिल्म की शूटिंग स्क्रिप्ट को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास जमा करेगा ।

[फाइल संख्या 806/21/83-एफ(सी)]

शिव राज सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 1983

S.O. 915(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) and in continuation of Ministry of Information and Broadcasting Notification No. 806/21/83-F(C) dated 17-6-83 (published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 17-6-83) the Central Government hereby extends the period of exemption from the provisions of sub-rule (1) of rule 28 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 relating to deposit of a print/video-copy of the film in respect of films certified by the Central Board of Film Certification, for three months from 17-12-83, subject to the condition that the applicant shall deposit a shooting script of the film to the Central Board of Film Certification.

[File No. 806/21/83-F(C)]

S. R. SINGH Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983